आवासीय सुधार समिति ओम नगर (रजि०)

B-20, ओम नगर, नजदीक मोलड़बन्द स्कूल, बदरपुर, नई दिल्ली–110044

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 710
Dated 16/11/11

Read Central Dy. No 60
Dated 15/11/11
R&D Section, Vikas Minar
Delhi Development Authority
Writing Asstt

माननीय निदेशक (योजना),
एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास
मीनार, 6वीं मंजिल,
नई दिल्ली-110002

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा ओम नगर (1639/673) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि **ओम नगर** (1639/673) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 673 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके का संरक्षण करने की बात कही है।

हमारी कालोनी **ओम नगर** (1639/673) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1000 मीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 5000 मीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

(रामजीत सिंह)
प्रधान

प्रतिलिपीः-
1- श्री कमलनाथ जी, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली- 110054
3- माननीया श्रीमती शीला दीक्षित जी, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, 3, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली।
4- श्री रमेश कुमार सांसद, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।

17/11 DD MPR
18/11 AD II MPR